पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-5

शुक्रवार, दिनांक-09 दिसम्बर, 2011 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iii) 01 तारांकित प्रश्न क्रम सं० 343 कृषि विभाग को स्थानांतरित ।
(iv) 02 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
(v) 123 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्य स्थगन :-

यथा संलग्न (i)

[3] अन्य चर्चा

(I) मा० सदस्य श्री भाई विरेन्द्र एवं अन्य दो मा० सदस्यों से प्राप्त चर्चा की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन से अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्रीमती लेशी सिंह
(ii) श्रीमती अनु शुक्ला
(iii) श्री रामायण मांझी
(iv) श्री कृष्णनंदन पासवान
(v) डा० प्रमोद कुमार सिंह
(vi) श्री विनोद प्रसाद यादव
(vii) श्री रामदेव महतो
(viii) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(ix) श्री आनंदी प्रसाद यादव
(x) श्री जनक सिंह
(xi) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
(xii) डा० दाउद अली
(xiii) श्री संजय सिंह 'टाइगर'
(xiv) श्री चन्द्रशेखर
(xv) श्री पवन कुमार जायसवाल

[5] ध्यानाकर्षण सूचना :-

(i) मा० सदस्य श्री परमानन्द ऋषिदेव का दिनांक 07.12.2011 से स्थगित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया । आसन से घोषणा की गई कि इसकी जाँच प्रधान सचिव, राजस्व विभाग करेंगे ।

(ii) मा० सदस्य श्री प्रमोद कुमार एवं अन्य सभासदों का दिनांक 08.12.2011 से स्थगित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर प्रभारी मंत्री द्वारा दिया गया । आसन से घोषणा की गई कि इसकी जाँच प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेंगे और साठ (60) दिनों के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(iii) मा० सदस्य श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य सभासदों का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को मा० सदस्य द्वारा पढ़ा गया । आसन द्वारा स्वयं देखे जाने की घोषणा की गयी ।

(iv) मा० सदस्य श्री चन्द्रशेखर एवं अन्य सभासदों से प्राप्त स्वास्थ्य विभाग से संबधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुआ ।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री (उप मुख्यमंत्री) श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना सं०-एस०ओ०-181, दिनांक 29.07.2011, एस०ओ०-183, दिनांक 09.08.2011, एस०ओ०-239, दिनांक 26.08.2011, एस०ओ०-241, दिनांक 01.09.2011 तथा एस०ओ०-385, दिनांक 25.10.2011 तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9 (4) की तहत् अधिसूचना सं०-एस०ओ०-391, दिनांक 10.11.2011 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखा गया । आसन से घोषणा की गयी कि यह 14 दिनों तक सदन पटल पर रहेगा ।

(ii) मा० मंत्री, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 30(2) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) नियमावली 2011 की प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

[7] याचिकाओं की विवरणी का सभा मेज पर रखा जाना :-

सभा सचिव द्वारा पैंतीस (35) याचिकाओं का एक विवरण सभा मेज पर रखा गया ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 5.50 बजे अप० तक ।

[8] वित्तीय कार्य :- (i) वित्तीय वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

जल संसाधन विभाग के मा० प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग प्रस्तुत किया गया । आसन से मा० सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह को उनके द्वारा दिए गए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया परन्तु श्री दुर्गा प्रसाद सिंह सदन में अनुपस्थित थे और कटौती का प्रस्ताव विपक्ष के किसी अन्य मा० सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(इसी बीच विपक्ष के सभी मा० सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।)

अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव पर चर्चा में निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री मंजीत कुमार सिंह

(मा० अध्यासी सदस्य श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

(ii) डा० अच्युतानन्द
(iii) श्री अनंत कुमार सत्यार्थी
(iv) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(v) श्री जवाहर प्रसाद
(vi) श्री रणविजय सिंह
(vii) श्री विजय कुमार सिन्हा
(viii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(ix) श्री रामदेव महतो

(मा० अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

(x) श्री राणा गंगेश्वर सिंह
(xi) श्री सोम प्रकाश
(xii) श्री प्रदीप कुमार

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया । सदन द्वारा जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग स्वीकृत हुई । तत्पश्चात् वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक की शेष अनुदान की मांगे मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा सदन से स्वीकृत हुई ।

(ii) वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

मा० प्रभारी मंत्री (उप मुख्य मंत्री) वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांगों को बारी-बारी से प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । सदन द्वारा बारी-बारी से सभी अनुदान स्वीकृत हुए ।

[9] राजकीय कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-

(i) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक 2011 :-

मा० प्रभारी मंत्री (उप मुख्य मंत्री) वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004) विधेयक 2011 :-

मा० प्रभारी मंत्री (उप मुख्य मंत्री) वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[10] प्रश्नों का विवरण :-

सभा नेता द्वारा निम्न प्रकार से प्रश्नों का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया :-

कुल प्राप्त प्रश्न	-	936
स्वीकृत प्रश्न	-	682
स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्न	-	24
स्वीकृत तारांकित प्रश्न	-	484
अतारांकित प्रश्न	-	174
सदन में उत्तरित प्रश्न	-	70
सदन पटल पर रखे गए प्रश्न	-	90
अपृष्ठ प्रश्न	-	02
उत्तर संलग्न प्रश्न	-	03
अनागत प्रश्न	-	517

[11] अध्यक्ष का समापन भाषण :-

'यथा संलग्न' (ii) ।

समापन भाषण के दौरान प्रतिपक्ष के नेता के साथ कुछ विपक्ष के मा० सदस्यगण सदन में आ गए ।

पटना

दिनांक-09.12.2011

गिरीश झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में नियमन

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार से पहला तथा माननीय सदस्य, श्री दिनेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, श्री भाई विरेन्द्र एवं माननीय सदस्य, श्री अब्दुल गफुर से दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आज अनुपूरक अनुदानों की माँग के लिए तिथि निर्धारित है ।

अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर मतदान से संबंधित वाद-विवाद के लिये निश्चित किए गये दिनों के अन्तिम दिन में स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23 मार्च, 1960 को बिहार विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष, श्री बिन्देश्वरी प्रसाद वर्मा द्वारा दिये गये नियमन को मैं उद्धरित करता हूँ :-

On the days so alotted no other business shall be taken up except with the consent of the Speaker, provided that such consent shall be given on the last day of the days "

So under this rule my hands are tied and I disallow these adjournment motions."

अत: बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-176 (3) के तहत दोनों कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल पाँच बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 06 (छः) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । 17 (सत्रह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति एवं पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्त्तमान वर्ष भगवान बुद्ध के ज्ञान-प्राप्ति (Enlightenment) का 2600वाँ वर्ष होने के कारण गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा का नाम भगवान बुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा किए जाने के लिए राजकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 को माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 एवं बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2011 की एक-एक प्रति तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारण का वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 को माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 के अधिकाई व्यय विवरण का उपस्थापन तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का वित्त लेखे भाग-1, 2010-2011, वित्त लेखे भाग-2, 2010-2011 एवं विनियोग लेखे 2010-2011, जिन्हें बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-181, दिनांक 29.07.2011, एस०ओ०-183, दिनांक 09.08.2011, एस०ओ०-239, दिनांक 26.08.2011, एस०ओ०-241, दिनांक 01.09.2011 तथा एस०ओ०-385, दिनांक 25.10.2011 तथा बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9 (4) के तहत् अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-391, दिनांक 10.11.2011 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-30(2) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) नियमावली, 2011 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित जल संसाधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ एवं शेष माँग गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये ।

राजकीय विधेयकों में यथा- (1) बिहार लोकायुक्त विधेयक, 2011 (2) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त विधेयक, 2011 (3) बिहार भूमि दाखिल-खारिज विधेयक, 2011 (4) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (5) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (6) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (7) बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक, 2011 (8) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (9) बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (10) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 एवं (11) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004) विधेयक, 2011 सभा द्वारा स्वीकृत किए गए ।

सत्र के दौरान कुल-936 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-682 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 24 अल्पसूचित प्रश्न, 484 तारांकित प्रश्न एवं 174 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 70 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 90 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये। 02 प्रश्न अपृष्ठ हुए, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-03 एवं 517 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र के दौरान कुल-84 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के 'माध्यम से कतिपय जनहित के मामले उठाये गये ।

बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल-94 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 64 स्वीकृत हुए एवं 30 अस्वीकृत हुए । कुल-50 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 35 स्वीकृत एवं 15 अस्वीकृत हुई। इस सत्र में कुल-113 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 91 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 14 अमान्य हुए ।

बिहार विधान सभा में पंचदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के तीन माननीय सदस्यों में से दो माननीय सदस्य यथा- डा० प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-205, भभुआ) एवं श्री नौशाद आलम (क्षेत्र संख्या-53, ठाकुरगंज) को जनता दल (यूनाईटेड) के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई ।

इस सत्र में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-40, लौकहा से उप चुनाव में नव-निर्वाचित सदस्य, श्री सतीश कुमार साह ने सदन में शपथ-ग्रहण किया ।

इस सत्र के अन्त में मैं पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक अवश्य ही सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दें । घोषणा संबंधी प्रपत्र बिहार विधान सभा के वेबसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

आज इस सत्र का समापन ही नहीं हो रहा है, बल्कि शीघ्र ही वर्ष 2011 का अवसान भी होने वाला है । क्रिसमस एवं नव वर्ष 2012 के शुभागमन की बेला में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ तथा नया वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सुख समृद्धि लेकर आए और आप सभी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए शुभकामना देता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❄❄❄❄❄